



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)



कार्यालय दूरभाष नं- 07662-241655

ई.मेल - deanmcrewa@rediffmail.com

वेबसाइट- www.ssmcrewa.ac.in

क्रमांक.....६३५...../स्था/राज/एमसी/विज्ञप्ति/2025

रीवा, दिनांक.....10/11/25

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1/55, भोपाल, दिनांक 07.04.2018 द्वारा जारी "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018" में किए गए प्रावधानों अंतर्गत श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अधीन निम्नानुसार आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, निश्चेतना चिकित्सक (बर्न यूनिट) एवं चिकित्सा अधिकारी (बर्न यूनिट) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में भरकर दिनांक 31.01.2025, सायं 05:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र.	पदनाम	कुल रिक्त पद	रोस्टर अनुसार वर्गीकरण				ई.डब्ल्यू.एस.
			अनारक्षित	अपिव	अजजा	अजा	
1	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	03	01	00	01	00	00
2.	निश्चेतना चिकित्सक (बर्न यूनिट)	02	00	00	01 (BL)	00	00
3.	चिकित्सा अधिकारी (बर्न यूनिट)	01	00	00	01 (BL)	00	00
कुल योग		06	01	00	03	00	00

BL= Backlog

टीप:-

- माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका क्र. 18105/2021 में पारित अंतिम निर्णय में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाये जाने के कारण आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी एवं निश्चेतना चिकित्सक (बर्न यूनिट) में अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त 01-01 पदों को विज्ञापित नहीं किया जा रहा है।
- पदों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
- विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की वेब साइट www.ssmcrewa.ac.in पर उपलब्ध है।
- साक्षात्कार की तिथि पृथक से प्रकाशित की जावेगी।
- आवेदन शुल्क:- अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु रु. 1000/- एवं आरक्षित श्रेणी (अपिव, अजजा, अजा एवं ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थियों हेतु रु. 750 का ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) [CEO & Dean, S.S. Medical College, Rewa (M.P.)] के नाम से देय होगा। (आवेदन के साथ ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न करें)

(अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. सुनील अग्रवाल)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, निश्चेतना चिकित्सक (बर्न यूनिट) एवं चिकित्सा अधिकारी (बर्न यूनिट) सीधी भर्ती के पदों की पूर्ति संबंधी आवश्यक विवरण

1. आवेदन पत्र जमा करने संबंधी:-

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	31.01.2025, सायं 05:00 बजे तक
आवेदन पत्र भेजने का पता	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, धोबिया टंकी के पास, जेल रोड, रीवा (म.प्र.), पिन 486001

2. पदनाम एवं वेतनमान:-

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान
1.	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	15600-39100+5400 ग्रेड-पे (सातवें वेतनमान का लेवल-12) 56100-177500
2.	निश्चेतना चिकित्सक (बर्न यूनिट)	
3.	चिकित्सा अधिकारी (बर्न यूनिट)	

3. आरक्षण:-

- जाति प्रमाण पत्र:- आरक्षण का लाभ म.प्र. के मूल निवासी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

नोट:- पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

4. आयु संबंधी:-

- न्यूनतम आयु सीमा-25 वर्ष।
- म.प्र. शासन द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण किया जा सकेगा।

5. अर्हतायें:-

- शैक्षणिक अर्हताएं:- एम.सी.आई./एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

6. निरर्हताएं:-

- 6.1 विकृत चित्त वाला होने पर।
- 6.2 दुश्चरित्र होने पर।
- 6.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- 6.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- 6.5 विवाह संबंधी- जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गयी हो, वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात् आगामी प्रसव में 02 या 02 से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा।
- 6.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख, फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

Dean

S. S. Medical College

Rewa (M.P.)

क्रमशः पेज...02

- 6.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- 6.8 ऐसे उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- 6.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

7. सामान्य शर्तें:-

- (i) चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की परीक्षा पर की जावेगी।
- (ii) महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित पदों पर महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त पद उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकेगा।
- (iii) शासकीय/स्वशासी संस्था में सेवारत् आवेदकों को अपने मूल नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण आवेदन पत्र के साथ-साथ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (iv) स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में सेवारत् व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो, सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा।
- (v) किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत् अथवा अन्यत्र शासकीय सेवा में कार्यरत् व्यक्ति को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व नियमानुसार चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय सेवा से त्याग पत्र देना होगा।
- (vi) चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथ समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
- (vii) आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो, तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में जमा करनी होगी।
- (viii) अवकाश, आचरण एवं अधिवार्षिकीय आयु के संबंध में म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018 के साथ-साथ म.प्र. सिविल सेवा नियम भी लागू होंगे।
- (ix) आवेदक को आवेदन पत्र के साथ यू.जी. डिग्री एवं मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। चयन उपरांत कार्यभार ग्रहण करने के 03 माह के भीतर म.प्र. मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा कर संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में संबंधित चिकित्सा शिक्षक की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही के लिए कॉलेज प्रशासन स्वतंत्र होगा।
- (x) आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को ही मान्य किया जावेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होंगे।
- (xi) संबंधित पद की समस्त अर्हताएं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण होना अनिवार्य होगा।
- (xii) चयन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भत्ता/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. **आवेदन जमा करने के संबंध में:-** आवेदन पत्र श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) में दिनांक 31.01.2025, सायं 05:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क लौटाई नहीं जाएगी।



Dean

S. S. Medical College

क्रमशः पेज...03

9. **आवेदन शुल्क:**— अनारक्षित श्रेणी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए रु. 1000/- एवं आरक्षित श्रेणी (अ.पि.व., अ.ज.जा. एवं अ.जा.) के अभ्यर्थियों के लिए रु. 750/- का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के नाम से देय होगा। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। (आवेदन के साथ ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न करें)
10. **महत्वपूर्ण टीप:**— यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समय अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

81

(डॉ. सुनील अग्रवाल)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक.....

पृ.क्र...../स्था./राज./एम.सी./2025

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल।
2. संचालक, स्थापना (राजपत्रित), लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर, म.प्र. भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा, छठवीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, म.प्र. भोपाल।

की ओर सूचनार्थ।

11

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)



कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)



आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, निश्चेतना चिकित्सक (बर्न यूनिट) एवं चिकित्सा अधिकारी (बर्न यूनिट) के
रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञप्ति क्रमांक :, दिनांक :

आवेदित पद का नाम :

बैंक का नाम, ड्राफ्ट क्र. एवं राशि:दिनांक

Paste self-attested
passport size
photo

नोट:- सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण भरी जावे।

1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता / पति का नाम	
3.	लिंग:- पुरुष / महिला	
4.	आवेदक की श्रेणी (सामान्य/अ.पि.व./अ.ज.जा./अ.जा.)	
5.	वर्तमान पद एवं कार्यस्थल / संस्थान (यदि लागू)	
6.	वर्तमान संस्था जहाँ पर कार्यरत है, प्रायवेट अथवा शासकीय (यदि लागू)	
7.	वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित)	
8.	स्थायी पता (पिन कोड सहित)	
9.	मोबाइल नं.	
10.	ईमेल आई.डी.	
11.	आधार नं.	
12.	जन्मतिथि (हाई स्कूल की अंकसूची संलग्न करे)	
13.	दिनांक 01/01/2025 को आवेदक की आयु	
14.	आवेदक की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित / अविवाहित)	
15.	विवाह का दिनांक	
16.	विवाह के समय आपकी उम्र	
17.	आपके जीवित सन्तानों की संख्या	
18.	यदि बच्चों की संख्या ≥ 3 है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक	
19.	वर्ग - अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूची जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग	

Continued....02

::02::

20. शैक्षणिक योग्यताए (Undergraduate) :- प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

S. No.	Name of Exam	Institute / University	Year of Passing	Marks obtained/ Max. Marks	Percentage	Attempt
1.	MBBS First Prof.					
2.	MBBS Second Prof.					
3.	MBBS Final Part-I					
4.	MBBS Final Part-II					
5.	MD/MS/MCH/DM					

No. of Additional Attempts:-

नोट:- प्रत्येक परीक्षा के प्रयास प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।क

21. अनुभव:-

Post	Name of Institute	Permitted / Recognized by MCI / NMC (Yes / No)	From	To	Total Duration

27. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन क्रमांक, नाम एवं दिनांक:-

शैक्षणिक योग्यता	पंजीयन क्रमांक	कौंसिल का नाम	दिनांक

28. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

S.No.	Certificates / Documents	Yes / No
1.	High School Mark Sheet (Date of Birth)	
2.	Higher Secondary Mark Sheet	
3.	Undergraduate Marksheets	
4.	Internship Completion Certificate	
5.	Attempt Certificate of Undergraduate issued by Dean / Competent Authority	
6.	Undergraduate Degree	
7.	Undergraduate Registration (State / National Council)	
8.	Experience Certificate issued by competent authority, if any	
9.	Domicile Certificate issued by Competent Authority	
10.	Caste Certificate issued by Competent Authority	
11.	Aadhar Card/Voter ID/Passport/Driving License (any one)	
12.	No Objection Certificate from present employer	
13.	Others if any -	
14.	Others if any -	
15.	Others if any -	

स्थान —

दिनांक —

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

Continued....03

// घोषणा – पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है आवश्यक दस्तावेजों की कमी / जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है ।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर